



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY  
साप्ताहिक  
WEEKLY

सं. 21] नई दिल्ली, अगस्त 21—अगस्त 27, 2016, शनिवार/श्रावण 30—भाद्र 5, 1938  
No. 21] NEW DELHI, AUGUST 21—AUGUST 27, 2016, SATURDAY/ SRAVANA 30— BHADRA 5, 1938

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक् संकलन के रूप में रखा जा सके  
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4  
PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश  
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

## रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, 16 अगस्त, 2016

**का.नि.आ. 40.—**राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और रक्षा मंत्रालय, नौसेना मुख्यालय (रूसी भाषा पद) भर्ती नियम, 2000 को, उन बातों के सिवाय अधिकृत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, रक्षा मंत्रालय के एकीकृत मुख्यालय (नौसेना) में सहायक सिविलियन स्टाफ अधिकारी (रूसी), रूसी आशुलिपिक- I और रूसी आशुलिपिक- II के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ .-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय के एकीकृत मुख्यालय (नौसेना) रूसी भाषा पद भर्ती नियम, 2016 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद-संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान .-** उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं आदि** .-उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता**.- वह व्यक्ति -

- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, या  
(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति**.-जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बावत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति**.- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

#### अनुसूची

| पद का नाम                              | पद संख्या                                                          | वर्गीकरण                                               | वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान                     |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| (1)                                    | (2)                                                                | (3)                                                    | (4)                                                    |
| 1. सहायक सिविलियन स्टाफ अधिकारी (रूसी) | 1*<br>(2016)<br><br>*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। | साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', राजपत्रित, अननुसचिवीय | वेतन बैंड-2<br>9300-34800 रु. +<br>ग्रेड वेतन 4800 रु. |

| चयन या अचयन पद | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं |
|----------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (5)            | (6)                                                 | (7)                                                                          | (8)                                                                                                                        |
| लागू नहीं होता | लागू नहीं होता                                      | लागू नहीं होता                                                               | लागू नहीं होता                                                                                                             |

|                                |                                                                                                                                                           |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो। | भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता। |
| (9)                            | (10)                                                                                                                                                      |
| लागू नहीं होता                 | विविध पद्धति द्वारा [प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) + प्रोन्नति]।                                                                   |

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा

(11)

प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) + प्रोन्नति :

केन्द्रीय या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या विश्वविद्यालयों या अर्द्ध-सरकारी या कानूनी या स्वायत्त संगठन के ऐसे अधिकारी :-

- (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या
- (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-2; 9300-34800 रु. + ग्रेड वेतन 4600 रु. या समतुल्य पदों में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में दो वर्ष सेवा की है; और
- (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हों :-

**आवश्यक :**

- (क) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से रूसी भाषा में बैचलर डिग्री और किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से बारहवीं कक्षा में अंग्रेजी एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो; या
- (ख) (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से बैचलर डिग्री और किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से बारहवीं कक्षा में अंग्रेजी भाषा एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो; और
- (ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से रूसी भाषा में दिवभाषिता के समतुल्य डिप्लोमा या उन्नत डिप्लोमा।

**वांछनीय :**

रूसी भाषा में श्रुतलेखन और रूसी लिपि में कम्प्यूटर पर उसका अनुलिपिकरण का दो वर्ष का अनुभव।

**टिप्पण :** बाह्य व्यक्तियों के साथ वेतन बैंड-2 (9300-34800) + ग्रेड वेतन 4600 रु. में ऐसे विभागीय रूसी आशुलिपिका पर भी विचार किया जाएगा जिन्होंने उस श्रेणी में दो वर्ष नियमित सेवा की है और यदि उस पद पर नियुक्ति के लिए उसका चयन कर लिया जाता है तो वह पद प्रोन्नति द्वारा भरा गया समझा जाएगा।

[प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी]।

**टिप्पण :** प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय कर दिया गया है और वहां यह वेतनमान केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

|                                                |                                                                                 |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना | भर्ती करने की किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा      |
| (12)                                           | (13)                                                                            |
| लागू नहीं होता                                 | विविध पद्धति द्वारा पद के भरते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है। |

| (1)                | (2)                                                                | (3)                                                    | (4)                                                 |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 2. रूसी आशुलिपिक-I | 1*<br>(2016)<br><br>*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। | साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', राजपत्रित, अननुसचिवीय | वेतन बैंड-2<br>9300-34800 रु. + ग्रेड वेतन 4600 रु. |

| (5)            | (6)            | (7)            | (8)            |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
| लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता |

| (9)             | (10)                                                                                    |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| लागू नहीं होता। | विविध पद्धति द्वारा [प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) + प्रोन्नति]। |

| (11)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) + प्रोन्नति :</p> <p>केन्द्रीय या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या विश्वविद्यालयों या अर्द्ध-सरकारी या कानूनी या स्वायत्त संगठन के ऐसे अधिकारी :-</p> <p>(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या</p> <p>(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-2; 9300-34800 रु. + ग्रेड वेतन 4200 रु. या समतुल्य पदों में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पाँच वर्ष सेवा की है; और</p> <p>(ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हों :-</p> <p><b>आवश्यक :</b></p> <p>(क) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से रूसी भाषा में बैचलर डिग्री और किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से बारहवीं कक्षा में अंग्रेजी एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो; या</p> <p>(ख) (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से बैचलर डिग्री और किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से बारहवीं कक्षा में अंग्रेजी भाषा एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो; और</p> <p>(ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से रूसी भाषा में द्विभाषिता के समतुल्य डिप्लोमा या उन्नत डिप्लोमा।</p> |

**वांछनीय :**

रूसी भाषा में श्रुतलेखन और रूसी लिपि में कम्प्यूटर पर उसका अनुलिपिकरण का एक वर्ष का अनुभव ।

**टिप्पण :** बाह्य व्यक्तियों के साथ वेतन बैंड-2 (9300-34800) + ग्रेड वेतन 4200 रु. में ऐसे विभागीय रूसी आशुलिपिक-II पर भी विचार किया जाएगा जिन्होंने उस श्रेणी में पाँच वर्ष नियमित सेवा की है और यदि उस पद पर नियुक्ति के लिए उसका चयन कर लिया जाता है तो वह पद प्रोन्नति द्वारा भरा गया समझा जाएगा ।

[प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

**टिप्पण :** प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छोटे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय कर दिया गया है और वहां यह वेतनमान केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी ।

| (12)           | (13)                                                                             |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| लागू नहीं होता | विविध पद्धति द्वारा पद के भरते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है । |

| (1)                 | (2)                                                         | (3)                                                     |
|---------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 3. रूसी आशुलिपिक-II | 1* (2016)<br>कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है । | साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय |

| (4)                                                    | (5)            | (6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| वेतन बैंड-2<br>9300-34800 रु. +<br>ग्रेड वेतन 4200 रु. | लागू नहीं होता | 30 वर्ष से अधिक नहीं ।<br><br>(केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)<br><br><b>टिप्पण 1:</b> आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के |

|  |  |                                                                                                                                                              |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

(7)

**आवश्यक :**

(क) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से बारहवीं कक्षा उत्तीर्ण और किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से रूसी भाषा (दो वर्षीय अवधि) में डिप्लोमा या उन्नत डिप्लोमा।

या

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री और किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से रूसी भाषा (एक वर्षीय पाठ्यक्रम) में प्रवीणता प्रमाणपत्र।

(क) रूसी भाषा में चालीस शब्द प्रति मिनट की गति से श्रुतलेखन में समर्थ हो।

(ख) कम्प्यूटर पर रूसी टंकण में पच्चीस शब्द प्रति मिनट की गति। (प्रत्येक शब्द के लिए पाँच की डिप्रेशन के औसत पर सात हजार पाँच सौ की डिप्रेशन प्रति घंटे के अनुरूप पच्चीस शब्द प्रति मिनट)।

(ग) कम्प्यूटर पर अंग्रेजी टंकण में तीस शब्द प्रति मिनट की गति (प्रत्येक शब्द के लिए पाँच की डिप्रेशन के औसत पर नौ हजार की डिप्रेशन प्रति घंटे के अनुरूप तीस शब्द प्रति मिनट की गति)।

**टिप्पण 1:** व्यावसायिक परीक्षण द्वारा उपयुक्तता का निर्धारण किया जाएगा।

**टिप्पण 2:** अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएँ कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।

**टिप्पण 3:** अनुभव संबंधी अर्हता उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएँ कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।

| (8)            | (9)     | (10)                                                                |
|----------------|---------|---------------------------------------------------------------------|
| लागू नहीं होता | दो वर्ष | सीधी भर्ती द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति या आमेसन द्वारा। |

(11)

**प्रतिनियुक्ति/आमेसन :**

केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों के ऐसे अधिकारी :-

(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या

(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-1, 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 2800 रु. में या समतुल्य पदों में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में छः वर्ष नियमित सेवा की है; या

(iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-1, 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 2400 रु. में या समतुल्य पदों में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में दस वर्ष सेवा की है; और

(ख) जिनके पास स्तम्भ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं हैं।

(प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी)।

**टिप्पण :** प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छोटे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरिक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय कर दिया गया है और वहां यह वेतनमान केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

| (12)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (13)                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <p><b>ग्रुप 'बी' स्थायीकरण समिति :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. उप मुख्य प्रशासनिक अधिकारी,<br/>संयुक्त सचिव (स्थापना/मु.प्र.अ.), रक्षा मंत्रालय - अध्यक्ष</li> <li>2. उप निदेशक या ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी,<br/>संयुक्त सचिव (स्थापना/मु.प्र.अ.), रक्षा मंत्रालय - सदस्य</li> <li>3. रूसी अनुवाद सेल, रक्षा मंत्रालय के एकीकृत मुख्यालय<br/>(नौसेना) से उप निदेशक या समतुल्य प्रास्थिति का एक अधिकारी - सदस्य</li> </ol> | <p>संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।</p> |

[फा. सं. 16955/सीएओ/आर-2]

अमर नाथ सिन्हा, उप मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

## MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 16th August, 2016

**S.R.O. 40.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Defence, Naval Headquarters, (Russian language posts) Recruitment Rules, 2000, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Assistant Civilian Staff Officer (Russian), Russian Steno-I and Russian Steno-II in Integrated Headquarters of Ministry of Defence (Navy), namely :-

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Defence, Integrated Headquarters of Ministry of Defence (Navy) Russian Language Posts Recruitment Rules, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification, Pay Band and Grade Pay or Pay Scale.**—The number of the said posts, its classification and the pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit and qualification, etc.**—The method of recruitment to the said posts, age-limit, qualification and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the Schedule.

4. **Disqualification.**—No person -

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
- (b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.** - Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Category, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

#### SCHEDULE

| Name of post                                                                                                | Number of post                                                   | Classification                                                                                                                                                     | Pay band and grade pay or Pay scale                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| (1)                                                                                                         | (2)                                                              | (3)                                                                                                                                                                | (4)                                                 |
| 1. Assistant Civilian Staff Officer (Russian)                                                               | 1*<br>(2016)<br><br>*Subject to variation dependent on workload. | General Central Service, Group 'B', Gazetted, Non-Ministerial.                                                                                                     | Pay Band -2, Rs. 9300-34800 plus Grade Pay Rs. 4800 |
| Whether selection or non-selection post.                                                                    | Age-limit for direct recruits                                    | Educational and other qualification required for direct recruits                                                                                                   |                                                     |
| (5)                                                                                                         | (6)                                                              | (7)                                                                                                                                                                |                                                     |
| Not applicable                                                                                              | Not applicable                                                   | Not applicable                                                                                                                                                     |                                                     |
| Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes | Period of probation, if any                                      | Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods |                                                     |
| (8)                                                                                                         | (9)                                                              | (10)                                                                                                                                                               |                                                     |
| Not applicable                                                                                              | Not applicable                                                   | By composite method (deputation (including short term contract) plus promotion).                                                                                   |                                                     |

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grades from which promotion or deputation or absorption to be made

(11)

**Deputation (including short term contract) plus promotion :**

Officers of Central or State Governments or Union Territories or Public Sector Undertakings or recognised Research Institutions or Universities or Semi Government or Statutory or Autonomous Organisation :

- (a) (i) Holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or  
(ii) with two years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in posts in Pay Band – 2, Rs. 9300-34800 plus grade pay Rs. 4600 or equivalent in the parent cadre or department; and

- (b) Possessing the following educational qualifications and experience :-

**Essential :**

(a) Bachelor's degree in Russian Language from a recognised University or Institution and English as a compulsory or elective subject in twelfth standard from recognised University or Board; or

- (b) (i) Bachelor's degree from a recognised University or institution and English Language as a compulsory or elective subject in twelfth standard from recognised University or Board; and  
(ii) Diploma or Advanced Diploma equivalent to Interpretership standard in Russian Language from a recognised University or Institution.

**Desirable :**

Two years' experience in taking dictation in Russian Language and its transcription on computer in Russian script.

**Note :** The departmental Russian Steno-I in the pay band-2 (Rs. 9300-34800) plus grade pay of Rs. 4600 with two years' regular service in the grade will also be considered along with deputationists and in case he is selected for appointment, the post shall be deemed to have been filled by promotion.

[Period of deputation (including short term contract) including period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications].

**Note :** For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1<sup>st</sup> January 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendation of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

|                                                                       |                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition | Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.          |
| (12)                                                                  | (13)                                                                                                      |
| Not applicable                                                        | Consultation with Union Public Service Commission is necessary while filling the post by composite method |

| (1)                | (2)                                                                | (3)                                                                                    | (4)                                                      |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 2. Russian Steno-I | 1*<br>(2016)<br>*Subject to variation<br>dependent on<br>workload. | General Central Service,<br>Group `B', Gazetted,<br>Non-Ministerial.                   | Pay Band -2,<br>Rs 9300-34800 plus<br>Grade Pay Rs. 4600 |
| (5)                | (6)                                                                | (7)                                                                                    |                                                          |
| Not applicable     | Not applicable                                                     | Not applicable.                                                                        |                                                          |
| (8)                | (9)                                                                | (10)                                                                                   |                                                          |
| Not applicable.    | Not applicable.                                                    | By composite method (deputation<br>(including short term contract) plus<br>promotion). |                                                          |

(11)

Deputation (including short term contract) plus promotion :

Officers of Central or State Governments or Union Territories or Public Sector Undertakings or recognised Research Institutions or Universities or Semi Government or Statutory or Autonomous Organisation :

- (a) (i) Holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or  
(ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in posts in Pay Band - 2 Rs. 9300-34800 plus grade pay Rs. 4200 or equivalent in the parent cadre or department; and
- (b) Possessing the following educational qualifications and experience :-

**Essential :**

- (a) Bachelor's degree in Russian Language from a recognised University or Institution and English as a compulsory or elective subject in twelfth standard from recognised University or Board; or
- (b) (i) Bachelor's degree from a recognised University or institution and English Language as a compulsory or elective subject in twelfth standard from recognised University or Board; and  
(ii) Diploma or Advanced Diploma equivalent to Interpretership standard in Russian Language from a recognised University/Institution.

**Desirable :**

One years' experience in taking dictation in Russian Language and its transcription on computer in Russian script.

**Note :** The departmental Russian Steno-II in the pay band-2 (Rs. 9300-34800) and Grade Pay 4200 with five years' regular service in the grade will also be considered along with deputationists and in case he is selected for appointment, the post shall be deemed to have been filled by promotion.

[Period of deputation (including short term contract) including period of deputation(including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications].

**Note :** For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1<sup>st</sup> January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendation of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grad pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

| (12)           |  | (13)                                                                                                      |  |  |
|----------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Not applicable |  | Consultation with Union Public Service Commission is necessary while filling the post by composite method |  |  |

  

| (1)                 | (2)                                                          | (3)                                                                | (4)                                                | (5)            |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|
| 3. Russian Steno-II | 1*<br>(2016)<br>*Subject to variation dependent on workload. | General Central Service, Group `B', Non-Gazetted, Non-Ministerial. | Pay Band-2, Rs. 9300-34800 plus Grade Pay Rs. 4200 | Not applicable |

  

| (6) | (7) |
|-----|-----|
|-----|-----|

Not exceeding 30 years.

(Relaxable for Government Servants upto five years' in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.)

**Note :** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Island or Lakshadweep).

**Essential :**

- (a) Twelfth standard pass from a recognised University or Board and diploma or advanced diploma in Russian Language (two years duration) from a recognised University or Institution.  
or  
Degree from a recognised University and certificate of proficiency in Russian Language (one year course) from a recognised University or Institution.
- (b) Should be able to take dictation in Russian Language at a speed of forty words per minute.
- (c) Speed of twenty five words per minute in Russian Typewriting on computer.  
(Twenty five words per minute correspond to Seven thousand five hundred Key Depressions per hour on an average of five depressions for each word).

- (d) Speed of thirty words per minute in English Typewriting on computer.  
(Thirty words per minute correspond to Nine thousand Key Depressions per hour on an average of five depressions for each word)

**Note 1 :** Trade test will be held to judge suitability.

**Note 2 :** The qualification(s) are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or Competent Authority for reasons to be recorded in writing, in case of candidates otherwise well qualified.

**Note 3 :** The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or Competent Authority, for reasons to be recorded in writing, in case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes. If at any stage of selection the Staff Selection Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.

| (8)            | (9)       | (10)                                                            |
|----------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|
| Not applicable | Two years | By direct recruitment failing which by deputation or absorption |
| (11)           |           |                                                                 |

**Deputation/Absorption :**

Officers of Central Government or State Governments or Union Territories :

- (a)(i) Holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or  
(ii) with six years' regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in posts in Pay Band – 1, Rs. 5200-20200 plus grade pay of Rs. 2800 or equivalent in the parent cadre or department; or  
(iii) with ten years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in posts in Pay Band – 1, Rs. 5200-20200 plus grade pay of Rs. 2400 or equivalent in the parent cadre or department; and  
(b) possessing the educational qualifications prescribed for direct recruits under column 7.

(Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications).

**Note :** For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1<sup>st</sup> January 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendation of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

| (12)                                                                                                                                                                                     | (13)                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Group `B' Departmental Confirmation Committee:-</b>                                                                                                                                   | Consultation with Union<br>Public Service<br>Commission not necessary. |
| 1. Deputy Chief Administrative Officer,<br>Office of the Joint Secretary (E/CAO),<br>Ministry of Defence – Chairman                                                                      |                                                                        |
| 2. Deputy Director or Senior Administrative Officer,<br>Office of the Joint Secretary (E/CAO),<br>Ministry of Defence – Member                                                           |                                                                        |
| 3. An officer of the status of Deputy Director or<br>equivalent from Russian Translation Cell,<br>Integrated Headquarters of Ministry of Defence (Navy), – Member<br>Ministry of Defence |                                                                        |

[F. No. 16955/CAO/R-II]

AMAR NATH SINHA, Dy. Chief Administrative Officer